

संयुक्त न्यायिक प्रणाली का विवरण 2016-17

निम्न नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 2016-17 (31-12-16 की स्थिति)

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम कैलाश चंद गोस्वामी 2. वर्तमान धारित पद सहाय्यक इन्-चार्ज 3. कार्यालय का नाम 132 के.पी. स्व.स्व.ग्राम वीरसिंगा
 4. वर्तमान वेतन 39430 + डी.ए. 5. भविष्य निधि क्रमांक 25012997 6. कर्मचारी संख्या 109521598

उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित है	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि सत्य के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मंडल अधिकारी/ कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जितकी गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
① जिला - सागर ग्राम - कगरोवा	144 वर्ग फुट	-	70,000/-	स्वयंकेनाम	विरासत	-	-
② जिला - सागर ग्राम - कगरोवा	-	2 एकड़	10,00,000/-	स्वयंकेनाम	विरासत	-	-
③ कृष्णा केम्पस भीपाल	इपलेकस, 1000 sq फुट पहला इका	-	50,00,000/-	स्वयंकेनाम के नाम	बैंक से लोन लेकर लिया	-	-

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम कैलाश चंद गोस्वामी
 पद सहाय्यक इन्-चार्ज

132 के.पी. स्व.स्व.ग्राम वीरसिंगा (म.प्र.)

* जहां लागू न हो काट दीजिए
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं

टिप्पणी—मंडल द्वारा ग्राह्य स.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य लैबित के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण देवें।